

श्री द्रोपदी गुसाईं

प्रधान

ग्राम पंचायत-कंकराड़ी

पट्टी-मुस्तिकसौड़, वि.ख.-भटवाड़ी

पता:-

ग्राम- कंकराड़ी, पोस्ट-मुस्तिकसौड़
पट्टी-बाड़ागड्डी, तहसील-भटवाड़ी
जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)
मोबा. 9411552373

दिनांक 11-8-2014

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

आज दि० 11-8-2014 को ग्राम पंचायत, कंकराड़ी की आम खुली बैठक में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष आहूत की गयी जिसमें मुस्तिकसौड़ - कुरोली मोटर मार्ग के कंकराड़ी बैण्ड से किशनपुर मोटर मार्ग के समरेखण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी जिला - उत्तरकाशी के द्वारा जो उक्त मोटर मार्ग का समरेखण किया गया है, उक्त समरेखण को सर्वसहमति व बहुमत के आधार पर सही पाया गया है। हम समस्त ग्रामवासी मोटर मार्ग के समरेखण से सहमत हैं, कि ग्राम पंचायत की सिविल सोयम वन भूमि / नाप भूमि को सर्व सहमति से मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को सहमत हैं, क्योंकि इसमें न्यूनतम वृक्षों की क्षति होगी।

आज की बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक 04 में प्रस्ताव सं० 14 के रूप में दर्ज किया गया है।

ग्राम वासियों के हस्ताक्षर निम्नवत हैं:-

सदस्य
क्षेत्र पंचायत थलन
वि.ख.-भटवाड़ी
जि० उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)

प्रधान-
ग्राम प्रधान - कंकराड़ी
वि.ख.-भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

ग्राम पंचायत कंकराड़ी

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

सहभाति पत्र पर ग्राम वासियों के हस्ताक्षर

1. शूरवीर सिंह गुसाई
2. भरत सिंह
3. गोवर्धन -
4. विरमल
5. उदय सिंह
6. गणेश सिंह
7. वैद्यलाल सिंह
8. मदन सिंह
9. मन्ना लाल
10. मन्ना राम
11. गुलाब सिंह
12. रीतलाल राणा
13. मोहित
14. रमेश सिंह
15. नारायण सिंह
16. लक्ष्मण सिंह गुलाब
17. विजयपाल राज
18. जयपाल सिंह
19. जयपाल सिंह
20. गुलाब सिंह गुसाई
21. राखी
22. गीता
23. जयदीप
24. श्रीमती लाल
25. कर्नल गुसाई
26. सतिश
27. हरन गुसाई
- 28.

- गुलाब
- गोवर्धन
- विरमल
- इंद्रासोहन
- गणेश लाल
- वैद्यलाल
- Maddan
- मन्ना राम
- गुलाब सिंह
- रीतलाल राणा
- Mohit
- रमेश सिंह
- दो काल नारायण
- लक्ष्मण लाल
- विजयपाल
- गुलाब सिंह
- राखी
- गीता
- जयदीप
- श्रीमती लाल
- कर्नल गुसाई
- सतिश
- हरन गुसाई
- प्रधान जयदीप
- ग्राम पंचायत - ककड़ाडी
- विजय - भद्रवारी (लालवासी)
- ककड़ाडी
- जयदीप
- कर्नल

- 29 मनीषा पंवार
- 30 खीना
- 31 गीतीराव
- 32 कुलकर्णी
- 33 दीपक पंवार
- 34 मीरा सिंह राव
- 35 मुरली
- 36 मीरा
- 37 अचनफिरेबाई
- 38 विजयफिरेबाई-बाई
- 39 विजयबाई फिरेबाई राव
- 40 विक्रम सिंह
- 41 मुखेश सिंह
- 42 सुवर्ण सिंह
- 43 सुरेश सिंह
- 44 मनीषा सिंह कलंड
- 45 सुमन सिंह
- 46 रामवीर सिंह
- 47 लक्ष्मी देवी
- 48 सोना देवी
- 49 जयपाल सिंह
- 50 पुष्पा
- 51 गणेश्वरी
- 52 सुनि लक्ष्मीबाई
- 53 चन्द्रनाथ
- 54 गणेश्वरी
- 55 पुष्पा
- 56 सुनी
- 57 मोहनलाल
- 58 नाग देवरा
- 59 पुनीला
- 60 लक्ष्मी देवी
- 61 प्रताप

मनीषा पंवार
~~मनीषा~~
 मीमी
 कुसुमा
 दीपक पंवार
 रमेश सिंह राव

B-7
 ME

व. चर्च.
 विजयबाई
 विक्रम सिंह
 मुखेश सिंह

मनीषा सिंह

लक्ष्मी देवी
 सोना देवी
 जयपाल

पुष्पा
 गणेश्वरी
 सुनि
 लक्ष्मीबाई
 प्रताप सिंह

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

आज दि० 4/8/2014 को ग्राम पंचायत मानपुर की आम खुली बैठक में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष आहूत की गई जिसमें मुस्टिकसौड़ - कुरोली मोटर मार्ग के कंकराड़ी बैण्ड से किशनपुर मोटर मार्ग के समरेखण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी जिला - उत्तरकाशी के द्वारा जो उक्त मोटर मार्ग का समरेखण किया गया है उक्त समरेखण को सर्वसहमति व बहुमत के आधार पर सही पाया गया है। हम समस्त ग्रामवासी मोटर मार्ग के समरेखण से सहमत हैं, कि ग्राम पंचायत की सिविल सोयम वन भूमि / नाप भूमि को सर्व सहमति से मोटर मार्ग निर्माण हेतु सहमत हैं, क्योंकि इसमें न्यूनतम वृक्ष की क्षति होगी।

आज की बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक 6 में प्रस्ताव सं० 15 के रूप में दर्ज किया गया है।

ग्राम वासियों के हस्ताक्षर निम्नवत हैं:-

प्रधान

ग्राम पंचायत मानपुर

प्रधान

ग्राम पंचायत- मानपुर
वि०ख०- भटवाड़ी, उत्तरकाशी

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में मुस्टिकसौंड-कुरेली मोटर मार्ग के केकराड़ी बेंड से किशनपुर तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1.163 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भटवाड़ी

उपखण्ड भटवाड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मुस्टिकसौंड-कुरेली मोटर मार्ग के केकराड़ी बेंड से किशनपुर तक मोटर मार्ग (— हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.163 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.163 हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भटवाड़ी) की दिनांक — को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री —, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|---------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| 1- | श्री <u>के.के. सिंह</u> | उपजिलाधिकारी | <u>भटवाड़ी</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>आरू.बी. सिंह</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>भटवाड़ी</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>अरविन्द कुमार</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>भटवाड़ी</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>हलदी सिंह</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>भटवाड़ी</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

परियोजना हेतु.....हे० वन भूमि





प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, — द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

कार्यालय उप जिलाधिकारी...भटवाड़ी.....
उप खण्ड स्तरीय समिति...भटवाड़ी.....

आज दिनांक...16/12/14 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड...भटवाड़ी...

में मु.प्र.डी.सी.0क्षे. मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ...1/163..... है।
से कि.प्र.पु. ल. मोटर मार्ग
के सम्बन्ध में वन अधिनियम-2006 एवं नियम- 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी
समिति की बैठक उप जिलाधिकारी...भटवाड़ी... की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की
उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1-	श्री के.के. सिंह	उप जिलाधिकारी...भटवाड़ी...	
2-	श्री आर० बी० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी.. धरम	
3-	श्री अरविन्द कुमार	सहायक समाज कल्या अधिकारी...भटवाड़ी...	
4-	श्री कलवीर सिंह चौहान	बी०डी०सी०क्षे. पंचायत सदस्य...धरम	

सदस्य
क्षेत्र पंचायत धरम
वि. खं.-भटवाड़ी
जि. उत्तरकाशी (उत्तरखण्ड)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत
परियोजना के निर्माण हेतु
हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- अखण्ड
जनपद- अखण्ड

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- अखण्ड
जनपद- अखण्ड

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi.

Name of Project- Construction of Motor road Mustiksour-Kuroli Motor Road
Kankradi Band to Kishanpur.

No. 25Dated. 23-12-14TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.163** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Provl. Division P.W.D Bhatwari** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Kankradi** village in **Bhatwari** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.163** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

(C.Ravishankar)
District Magistrate,
Uttarkashi.
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

ANNEXURE

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **1.163** hect for the construction of **Motor Road** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhatwari sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated:..23.12.14

(C. Ravishankar)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

Uttarkashi
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

(2)

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति
जिला - उत्तरकाशी।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में मुस्टिकसौड़ - कुरोली मोटर मार्ग के कंकराड़ी बैण्ड से किशनपुर तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1.1.63 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 1.50 तक) के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति।

क्र० सं०	अधिकारी / जिलापंचायत सदस्य का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री की० के० मिश्रा	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	जिलाधिकारी
2.	श्री विजय बहादूर	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।	उत्तरकाशी
3.	श्री मदन लाल कोषवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।	उत्तरकाशी
4.	श्रीमती सीमा राणा	जिला पंचायत सदस्य, उपला बाड़ागड्डी।	सीमा राणा
5.	श्रीमती मंगला राणा	जिला पंचायत सदस्य, नाल्ड कटूड।	मंगला राणा
6.	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य, कन्सैण।	अनिता गुसाई

It is certified that- Minutes of meeting of Mustik sour-Kuroli Motor Road Kankradi Band to Kishanpur (1.50 km.) Regarding FRA is as Following:-

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 1.163 Het. of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right Committee (s), Gram Sabha (s), sub division level committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the villagers have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No. Objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid Motor road attached.
(c)	The proposal does not involve recognition of rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

(B. K. Mishra)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी